न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 – 59/2018

अनवान : –

1. सुभाषचन्द्र पुत्र श्री रामसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– **वादी**

बनाम

1. रामसिंह पुत्र जयकिशन जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. संदीप कुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
4. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा भादरा (समेकित भारतीय स्टेट बैंक, शाखा भादरा) जरिये शाखा प्रबन्धक।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : **वादी**

वकील श्री रोहताश शर्मा : **प्रतिवादी सं0 1 व 2**

निर्णय **दिनांकः** 18.5.18

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा जिगासरीछोटी के खाता सं0 28/29 के खसरा सं0 4 की 3.086 है0 खसरा सं0 58 की 7.109 है0 खसरा सं0 153 की 2.6300 है0, खसरा सं0 188 की 6.386 है0 खसरा सं0 215 की 9.181 है0 खसरा सं0 234 की 2.9080 है0 खसरा सं0 243 है0 की 0.101 है0 खसरा सं0 256 की 7.0950 है0 खसरा सं0 286 की 0.076 है0 कुल 38.5720 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि दर्ज है जो कि हिन्दू संयुक्त परिवार की सहदायिकी सम्पत्ति है। प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह को उपर वर्णित कृषि भूमि विरासतन में प्राप्त हुई है एवं हिन्दू संयुक्त परिवार की सहदायिकी सम्पति होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 के साथ साथ वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 का भी जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 3 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 4 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी सुभाषचन्द्र के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम जिगासरी छोटी खाता सं0 28/29 सम्वत् 2068 से 71

कलक्टर
(हनु.)

प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम जिगासरी छोटी खाता सं0 15/28 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 2, शपथ पत्र वारिस रामसिंह प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित कृषि भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम जिगासरी छोटी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि हेतु जो सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम जिगासरी छोटी खांता सं0 28/29 सम्वत् 2068 से 71 प्रदर्श 1 पेश की है उसमें कृषि भूमि वादी के दादा जयकिशन के नाम से दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं सरपंच ग्राम पंचायत अलायला द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 में रामसिंह के वारिसान में पत्नि राजबाला, दो पुत्र संदीप कुमार व सुभाष चन्द्र होना व इनके अलावा कोई वारिस नही होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरीछोटी के जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 75 के खाता सं0 15/28 के खसरा सं0 4 की 3.086 है0 खसरा सं0 58 की 7.109 है0 खसरा सं0 153 की 2.6300 है0, खसरा सं0 188 की 6.386 है0 खसरा सं0 215 की 9.181 है0 खसरा सं0 234 की 2.9080 है0 खसरा सं0 243 है0 की 0.101 है0 खसरा सं0 256 की 7.0950 है0 खसरा सं0 286 की 0.076 है0 कुल 38.5720 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह के बजाय वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी सुभाषचन्द्र एवं प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह व प्रतिवादी सं0 2 संदीप कुमार के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 - 59/2018

अनवान : -

1. सुभाषचन्द्र पुत्र श्री रामसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

बनाम

1. रामसिंह पुत्र जयकिशन जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. संदीप कुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
4. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा भादरा (समेकित भारतीय स्टेट बैंक, शाखा भादरा) जरिये शाखा प्रबन्धक।

- **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट--ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 श्री रोहताश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरीछोटी के जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 75 के खाता सं0 15/28 के खसरा सं0 4 की 3.086 है0 खसरा सं0 58 की 7.109 है0 खसरा सं0 153 की 2.6300 है0, खसरा सं0 188 की 6.386 है0 खसरा सं0 215 की 9.181 है0 खसरा सं0 234 की 2.9080 है0 खसरा सं0 243 है0 की 0.101 है0 खसरा सं0 256 की 7.0950 है0 खसरा सं0 286 की 0.076 है0 कुल 38.5720 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह के बजाय वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी सुभाषचन्द्र एवं प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह व प्रतिवादी सं0 2 संदीप कुमार के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.5.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ